रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1981 (फाल्गुन 16, 1902)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1981 (PHALGUNA 16, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	245
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	273
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	253
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	491
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	781
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	65
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	3079
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	127
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	19
भाग III—खण्ड 4—विविध निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	889
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	35

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

—481 GI/80

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	245
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	273
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	253
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3079
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	127
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	19
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	889
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	35

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 1981

सं० 10-प्रेज/81—राष्ट्रपति कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एच० एम० सुनील कुमार, (स्वर्गीय)
पुलिस उप-निरीक्षक,
मुनीरेड्डी पालया थाना,
बंगलौर शहर,
कर्नाटक।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 अप्रैल, 1980 की रात्रि को श्री एच० एम० सुनील कुमार जब एक पुलिस वाहन में मुनीरेड्डी पालया थाने को ओर जा रहे थे तो कुछ पोर्टरों तथा अन्य लोगों ने पुलिस वाहन को छावनी रेलवे स्टेशन के सामने रोका और एक अजनबी, जिसने दो रेलवे पोर्टरों को छुरा मार दिया था और दूसरे व्यक्तियों को धमकी दे रहा है, को पकड़ने के लिए सहायता मांगी। श्री सुनील कुमार और पुलिस वाहन में उनके साथ जा रहे पुलिस कांस्टेबल घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने अजनबी को पकड़ लिया, जो चाकू दिखा रहा था। किन्तु इससे पहले कि श्री सुनील कुमार आक्रमणकारी को निहत्था करें उसने उनके पेट में नीचे की ओर चाकू घोंप दिया। पुलिस कांस्टेबलों तथा अन्य लोगों ने अपराधी पर पत्थर फेंके और उसे काबू में कर लिया। श्री सुनील कुमार अपने पेट को पकड़े हुए वाहन तक गए और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परन्तु चाकू के गहरे घाव के कारण उनकी तुरन्त मृत्यु हो गई।

इस कार्रवाई में श्री एच० एम० सुनील कुमार ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 अप्रैल, 1980 से दिया जाएगा।

सं० 11-प्रेज/81—राष्ट्रपति कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० डी० पाटिल,
पुलिस उप निरीक्षक,
कोलार टाउन थाना,
कर्नाटक।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 जनवरी, 1979 को गवर्नमैंट कालेज, कोलार के छात्रों के एक दल ने अपनी मांगों के समर्थन में एक जुलूस निकाला। उन्होंने उप-आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। वापस आते समय उन्होंने एक फल विक्रेता से केले लेकर खाए परन्तु उसे पैसे देने से इंकार कर दिया। इससे कहा सुनी हो गई जिससे कानून तथा व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। शीघ्र ही घातक हथियारों, पत्थरों, छुरों आदि से लैस लोगों की एक भीड़ जमा हो गई और अम्मावरपेट क्षेत्र में सड़क के बीच बड़े बड़े पत्थर रखकर शरारत करने लगी। सूचना मिलने पर श्री एस० डी० पाटिल, पुलिस उप-निरीक्षक उपलब्ध पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को तितर बितर होने के लिए चेतावनी दी। लेकिन भीड़ ने इसकी परवाह नहीं की और एक पत्थर श्री पाटिल पर फेंका जो उनके माथे पर लगा लेकिन वे वहां से हिले नहीं और भीड़ के प्रकोप का सामना करते रहे। उन पर साइकिल चैन से प्रहार किया गया और उनके जख्म से खून बहने लगा। उन पर चाकू से भी आक्रमण किया गया परन्तु वे वार बचाने के लिए एक तरफ हो गए। उनके चेहरे पर बुरी तरह प्रहार किया गया। श्री पाटिल बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुमुक पहुंचने के बाद भीड़ तितर बितर हुई।

इस कार्रवाई में श्री एस० डी० पाटिल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जनवरी, 1979 से दिया जाएगा।

सं० 12-प्रेज/81—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री विनोद बिठ्ठल भट्ट,
पुलिस उप निरीक्षक,
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र।

श्री बालकृष्ण जयवंत बांदेकर,
पुलिस कांस्टेबल बी० सं० 6480/ई०,
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

26 सितम्बर, 1979 को रात्रि को लगभग 2.25 बजे, पुलिस उप निरीक्षक विनोद बिठ्ठल भट्ट को सूचना मिली कि एक आतताई अपराधी जय उर्फ जयराज मोरे, जिसकी हमलों और डाकेजनी के कई मामलों में तलाश थी, ने कोहीनूर मिल की चालों में शरण ली हुई है। श्री भट्ट पांच पुलिस कर्मचारियों जिनमें श्री बालकृष्ण जयवंत बांदेकर भी शामिल थे, सहित तुरन्त उस स्थान पर गए परन्तु अपराधी का पता नहीं लगाया जा सका। किन्तु लौटते समय श्री भट्ट ने "बलीराम निवास" के सामने पटरी पर 5-6 आदमियों को बैठे देखा। पुलिस दल को देखते ही अपराधी दो अलग-अलग दिशाओं में भागे। पुलिस टुकड़ी को भी दो दलों में विभाजित किया गया। चार पुलिस कर्मचारियों ने एक गिरोह का पीछा किया जबकि श्री भट्ट और श्री बालकृष्ण जयवंत बांदेकर ने

उन अपराधियों का पीछा किया जो "बलीराम निवास" के प्रांगण म चले गए थे। श्री भट्ट ने स्वयं प्रांगण में उत्तर की ओर से प्रवेश किया और श्री बांदेकर को दक्षिण की ओर से प्रांगण में प्रवेश करने के लिए कहा। प्रांगण में प्रवेश करने के बाद श्री भट्ट ने पानी की टंकी पर तीन व्यक्तियों को देखा जो उन्हें देखकर टंकी से कूद पड़े और उन्होंने दक्षिण की ओर से बचकर निकलने का प्रयत्न किया जहां श्री बांदेकर ने अपराधियों में से दिगम्बर हरीशचन्द्र यादव नामक एक कुख्यात अपराधी को पकड़ लिया किन्तु यादव ने अपनी जेब से एक "रामपुरी" चाकू निकाला और उसे श्री बांदेकर की बगल में तीन बार घोंप दिया जिसके कारण उनके तीन घाव हो गए। परन्तु श्री बांदेकर ने तेजी से खून बहने और अत्याधिक पीड़ा की परवाह न करते हुए अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। श्री भट्ट को अपनी ओर आते देख यादव ने कांस्टेबल की पकड़ से अपने को छुड़ा लिया और वह खुला चाकू लेकर श्री भट्ट की ओर दौड़ा। श्री भट्ट हमले से बचाव करने के लिए पीछे झुके परन्तु सफल नहीं हुए जिससे उनकी गर्दन की बांई ओर चोट लग गई। अपराधी ने श्री भट्ट पर दोबारा हमला किया किन्तु श्री भट्ट ने अपराधी के मुंह पर टार्च फैंकी, जो उनके पास थी, और उस पर झपट पड़े तथा उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। अपराधी को काबू में कर लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

इस कार्रवाई में श्री विनोद विठ्ठल भट्ट और श्री बालकृष्ण जयवंत बांदेकर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 सितम्बर, 1979 से दिया जाएगा।

मु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 फरवरी 1981

आदेश

सं० 27(26)80 सी० एल० 2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप-धारा (i) के खण्ड (ii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त धारा 209 के प्रयोजनों के लिए सरकार कम्पनी कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है —

1. श्री वी० गोविन्दन, संयुक्त निदेशक, निरीक्षण

2. श्री राकेश चन्द्रा, सहायक निरीक्षण अधिकारी

3. श्री पी० एम० अनवर, उप-निदेशक, निरीक्षण

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वी० गोविन्दन, निरीक्षण अधिकारी, मद्रास एवं श्री ओ० पी० चड्ढा निरीक्षण अधिकारी, बम्बई के पक्ष में पहले के प्रेषित क्रमशः दिनांक 11-7-73 के आदेश संख्या 53(2)73 सी० एल० 2 एवं दिनांक 10-6-77 के आदेश संख्या 27(8)77 सी० एल० 2, के प्राधिकरण को रद्द करती है।

केशव प्रसाद, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1981

सं० यू० 1/251/1/14/80—भारत सरकार के आमंत्रण पर और वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय (साइट्स) के पक्षकारों द्वारा उसके स्वीकार कर लिए जाने पर, सम्मेलन की तीसरी बैठक 25 फरवरी से 8 मार्च 1981 तक नई दिल्ली में होगी।

और जबकि, वन्य प्राणि एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय (साइट्स) के पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक की व्यवस्था के बारे में भारत सरकार और साइट्स सचिवालय के बीच 15-1-1981 को एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न हुआ;

अतः अब संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित प्रावधान संलग्न समझौता ज्ञापन को प्रभावी करने के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अभिसमय के पक्षकारों और इसके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सम्मेलन की तीसरी बैठक के संबंध में लागू होंगे।

समझौता-ज्ञापन

3 मार्च, 1973 को वाशिंगटन, डी० सी० में स्वीकृत और 1 जुलाई, 1975 से प्रवृत्त वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय के अनुच्छेद—ग्यारह के अनुपालन में साइट्स पक्षकारों के सम्मेलन की नियमित बैठक के तौर पर, यह बैठक आयोजित की जा रही है। नई दिल्ली में 25 फरवरी, से 8 मार्च 1981 तक वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों से सम्बद्ध अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक (जिसे आगे "बैठक" कहा जाएगा) में भाग लेने के लिए भारत सरकार के आमंत्रण को पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर, भारत सरकार (जिसे आगे "सरकार" कहा जाएगा) और साइट्स सचिवालय इस प्रकार सहमत होते हैं :—

1. भाग लेना

(क) साइट्स पक्षकारों का प्रतिनिधित्व, समुचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी विशेषज्ञ एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और किसी ऐसे राज्य, जो कि अभिसमय का पक्षकार नहीं है, का प्रतिनिधित्व प्रेक्षकों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें बैठक में भाग लेने का हक तो होगा, परन्तु वे मतदान नहीं कर सकेंगे ;

(ग) निम्नलिखित वर्गों के अवन्य जन्तु समूह व वनस्पति के बचाव, संरक्षण या प्रबंध में तकनीकी योग्यताप्राप्त निकायों या एजेंसियों, जिन्होंने सम्मेलन की बैठकों में प्रेक्षकों द्वारा अपने प्रतिनिधित्व की इच्छा के बारे में सचिवालय को सूचित किया है, को प्रवेश की अनुमति होगी, बशर्ते कि मौजूद पक्षकारों की कम से कम एक तिहाई संख्या इस पर आपत्ति नहीं उठाती;

(i) सरकारी या गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां या निकाय, और राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियां और निकाय; तथा

(ii) राष्ट्रीय गैर-सरकारी एजेंसियां या निकाय, जिनका अनुमोदन उस राज्य द्वारा इस प्रयोजन के लिए किया गया है, जहां वे हैं। एक बार प्रवेश पा लेने वाले इन प्रेक्षकों को बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु वे मतदान नहीं कर सकेंगे।

II. परिसर, उपस्कर, जनोपयोगी सेवाओं और लेखन सामग्री की सप्लाई

सरकार, दिल्ली में बैठक के आयोजन के लिए आवश्यक स्थान और अन्य सुविधाओं की, अपने खर्च पर व्यवस्था करेगी। बैठक के परिसर और सम्बद्ध सुविधाओं की सूची, "समझौता-ज्ञापन" में संलग्न अनुबंध-I में दी गई है। सरकार, प्रेस और अन्य सूचना माध्यमों के लिए स्थान और सभी आवश्यक उपस्कर की भी व्यवस्था करेगी।

2 यह परिसर पूरी बैठक के दौरान "साइटस" सचिवालय के सुपुर्द रहेगा और अगर बैठक से सम्बद्ध काम की तैयारी के लिए और उसे निपटाने के लिए इससे पहले और बाद में भी अगर साइट्स 'सचिवालय' को जरूरत होगी तो उतनी अवधि के लिए भी सरकार के परामर्श से वह इस परिसर को रख सकेगा।

3. सरकार, बैठक के प्रभावकारी सचालन के लिए, समझौता ज्ञापन के अनुबंध-I में सूचीबद्ध सभी उपर्युक्त कमरो और कार्यालयों के साज-सामान की व्यवस्था और रख-रखाव अपने खर्च पर करवाएगी

4 सरकार, बैठक के प्रभावकारी सचालन के लिए अपने खर्च पर मीम्योग्राफ, अन्य डुप्लिकेटिंग और फोटोकापीइंग मशीनो, अपेक्षित भाषाओ के की-बोर्डों सहित टाइपराइटरो, टेपरिकार्डरो और समझौता ज्ञापन के अनुबंध-I में सूचीबद्ध अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था और देख-रेख करेंगी।

5 सरकार, अपने खर्च पर बैठक के लिए स्टेपलरो, ऐशट्रेयो, कैंचियों, रद्दी की टोकरियों, पत्र खोलने वाले उपस्कर, डैस्क कलैंडरो, ब्लौटिंग, पैडो आदि जैसी आवश्यक और स्थायी कार्यालय सामग्री की भी व्यवस्था करेगी।

6 सरकार, बैठक के परिसर में बैंक, डाकघर, टेलीफोन, तारघर, यात्रा-सुविधाओ, प्राथमिक चिकित्सा-सुविधाओं, केफेटेरिया रेस्तरां और बहु-भाषी सूचना सेवाओ की भी व्यवस्था करेगी। बैठक में आमंत्रित और प्रविष्ट लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी।

7 सरकार, नई दिल्ली में बैठक के सचिवालय की टेलीफोन सचार व्यवस्था तथा उसके और मोट ब्लैंक स्थित साइट्स सचिवालय तथा न्यूयार्क स्थित सयुक्त राष्ट्र सघ के प्रधान कार्यालय के बीच टेलेक्स और टेलीफोन द्वारा सभी प्राधिकृत सरकारी सचार व्यवस्था सहित सभी आवश्यक उपयोगी सेवाओं के इस्तेमाल पर होने वाले खर्च को वहन करेगी।

8 साइट्स बैठक के कार्य के लिए सभी आवश्यक लेखन सामग्री और स्टेंसिलो तथा दस्तावेजो की प्रतिया तैयार करने के लिए आवश्यक कागज की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगा। सरकार, मोट ब्लैंट या न्यूयार्क से नई दिल्ली और नई दिल्ली से मोट ब्लैंक या न्यूयार्क तक इस सामग्री के परिवहन और उसके जहाज से भेजे जाने सबधी बीमा प्रचार की अदायगी करेगी।

9 सरकार इस बात का सुनिश्चिय करेगी कि जब कभी भी जरूरत हो हस्पताल में उपचार और दाखले की तत्काल सुविधा मिले और आवश्यक परिवहन भी निरन्तर सुलभ हो जा बुलाने पर फौरन आ जाये।

III कर्मचारी

साइट्स सचिवालय को, समझौता-ज्ञापन के अनुबध-II में सूचीबद्ध अतर्राष्ट्रीय स्टाफ की नई दिल्ली में जरूरत होगी और सरकार यथा-वश्यकता उसकी व्यवस्था करेगी।

2 सरकार, एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करेगी, जोकि "समझौता-ज्ञापन" के अनुसार प्रशासनिक तथा कार्मिक प्रबध करने के लिए, साइट्स के परामर्श से काम करेगा।

3 सरकार, साइट्स के परामर्श से अपने खर्च पर और अपने प्रशासनिक नियत्रणाधीन, समझौता ज्ञापन के अनुबध-II में सूचीबद्ध स्थानीयन कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि निम्नलिखित कार्य करेंगे —

(क) बैठक के सबध में आवश्यक दस्तावेजो की प्रतिलिपि तैयार करना और बाटना,

(ख) मोट ब्लैंक में साइट्स स्टाफ के स्थान पर टाइपिस्टो, क्लर्कों, सदेश-वाहकों, सुरक्षा गार्डों, स्टोर कीपरो और सम्मेलन कक्ष कार्मिको के तौर पर काम करना, और

(ग) बैठक के सिलसिले में उपलब्ध किए गए उपकरण और परिसर की अभिरक्षात्मक और अनुरक्षात्मक सेवाओ के लिए ऐसा आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करना।

4 उपर्युक्त स्थानीय कर्मचारी, "यूनेप" के कार्यकारी निदेशक के सामान्य पर्यवेक्षण के अतर्गत कार्य करेंगे और उनकी सेवाएँ बैठक से पहले और बाद यथावश्यकता उपलब्ध रहेंगी।

IV. परिवहन तथा निर्वाह

1 बैठक के लिए यात्रा, जहा तक सम्भव हो, उनके सबधित ड्यूटी स्टेशनो से नई दिल्ली और नई दिल्ली से वापसी हवाई सैर के लिए जाने वाले किराए के आधार पर होगी। यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्टाफ का कोई सदस्य किसी लम्बे मार्ग से अपने ड्यूटी स्टेशन पर जाना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। बशर्ते कि हवाई सैर के लिए जाने वाले ऐसे किराये सीधी वाणिज्यिक उड़ान की लागत से अधिक व्यय को वह स्वय वहन करे।

2 यू० एन० ई० पी० के कार्यकारी निदेशक या बैठक के कर्मचारी वर्ग के प्रयोग के लिए परिवहन की व्यवस्था सरकार अपने खर्च पर करेगी। सरकार "साइस" कर्मचारी वर्ग के दिल्ली पहुचने पर दिल्ली हवाई अड्डे से उन्हें उनके होटलो तक पहुचाने और वापसी के समय उन्हे उनके होटलो से हवाई अड्डे तक पहुचाने के लिए जो अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए होगी, वह भी मुफ्त प्रदान करेगी। सरकार सम्मेलन के लिए उपस्करो तथा सामग्री के हवाई अड्डे (अथवा बन्दरगाह) से बैठक के स्थान तथा वापसी के लिए भी परिवहन की व्यवस्था करेगी।

3 बैठक के दौरान प्रतिनिधि मडलो को सचिवालय, प्रेस तथा इस बैठक में भाग लेने वाले दूसरे लोगों की सहायता के लिए और होटल आदि के आरक्षण के लिए भी सरकार सुविधाए उपलब्ध कराएगी। ये सभी सुविधाए बैठक में भाग लेने वालो के खर्च पर उपलब्ध करायी जाएंगी और इनका हिसाब बैठक में भाग लेने वालो द्वारा होटल प्राधिकारियों तथा अन्य सबधित से सीधे ही तय किया जाएगा। इस बारे में सरकार किसी प्रकार के उत्तरदायित्व अथवा देयता को स्वीकार नहीं करेगी।

4 निकटस्थ वन्य पशु बिहार की सगठित यात्रा के लिए यदि कोई खर्च होगा तो उसे आतिथ्य सरकार वहन करेगी।

V. विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां

1 संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियो पर अभिसमय इस बैठक पर भी लागू होगा। तदनुसार राज्यो, संयुक्त राष्ट्र, उसके विशिष्ट अभिकरणो और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रतिनिधि, इस बैठक के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और उपर्युक्त पैरा 1 (ग) में उल्लिखित निकाय अथवा एजेंसियो उक्त विशेषाधिकारो और उन्मुक्तियो का लाभ उठाएगी।

2 बैठक में भाग लने वाले विशिष्ट अभिकरणो के प्रेक्षक, विशेषज्ञ एजेंसियो के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियो पर अभिसमय के अनुच्छेद VII और VIII के अन्तर्गत उपलब्ध विशेषाधिकार, और उन्मुक्तिया इन्हें भी प्राप्त होगी। बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रेक्षक, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषाधिकारो और उन्मुक्तियो पर करार के अनुच्छेद VI और IX के अन्तर्गत उपलब्ध विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। बैठक में प्रेक्षकों के रूप में आमंत्रित किये गए अन्य अन्तर सरकारी तथा गैरसरकारी सगठनो के प्रेक्षक, संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियो पर अभिसमय के अनुच्छेद V के अन्तर्गत उपलब्ध विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां इन्हे प्राप्त होगी।

3 संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारो तथा उन्मुक्तियो के अभिसमय पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले इस बैठक से सबधित काम करने वाले सभी व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो के प्रतिनिधियों, विदेशी सूचना माध्यम के प्रतिनिधियो सहित "साइटस" सचिवालय द्वारा बैठक में आमंत्रित अन्य व्यक्तियो को जिन्हें ऐसा करने के लिए विधिवत् प्रत्याशित किया गया हो, बैठक के सिलसिले में बोले तथा लिखे गए शब्दो और अपनी आधिकारिक क्षमता में किये गये सभी कार्यों के लिए कानूनी प्रक्रिया से उन्मुक्ति मिलेगी।

4. सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि बैठक में भाग लेने के लिए हकदार ऐसे किसी व्यक्ति और समाचार अथवा रेडियोटेलीविजन, सिनेमा अथवा सरकार के परामर्श से "साइटस" सचिवालय द्वारा प्रत्यायित अन्य अभिकरणों के प्रतिनिधियों तथा "साइटस" सचिवालय द्वारा इस बैठक में भाग लेने के लिए अधिकारिक रूप से आमंत्रित अन्य व्यक्तियों के बैठक के स्थान के लिए और वहां लेजाने के लिए किसी प्रकार की रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी।

5. इस खण्ड में उल्लिखित सभी व्यक्तियों को सरकार द्वारा स्थानीय रूप से भर्ती किये गए कर्मचारियों को छोड़कर, भारत में प्रवेश करने और यहां से बाहर जाने का अधिकार होगा। उनकी शीघ्र यात्रा के लिए पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जाएंगी, जहां वीजा अपेक्षित होगा, वहां यथाशीघ्र मुफ्त वीजा दिया जाएगा और जिन मामलों में आवेदन पत्र बैठक शुरू होने से कम से कम ढाई सप्ताह पूर्व दिए जाएंगे, उनमें बैठक की तारीख से दो सप्ताह पूर्व तक वीजा उपलब्ध कर दिये जाएंगे। यदि वीजा के लिए आवेदन पत्र बैठक शुरू होने के ढाई सप्ताह पूर्व नहीं किया गया होगा तो वीजा आवेदन प्राप्त होने से तीन दिन के अन्दर-अन्दर वीजा दे दिया जाएगा। निष्क्रमण परमिट, जहां अपेक्षित होंगे, यथाशीघ्र मुफ्त प्रदान किये जाएंगे और किसी भी हालत में बैठक समाप्त होने से तीन दिन पूर्व के बाद नहीं।

6. इसके अतिरिक्त, इस बैठक में भाग लेने वाले और बैठक के सिलसिले में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसी सुविधाओं तथा शिष्टाचारों का लाभ प्राप्त होगा जो बैठक के सिलसिले में उनके स्वतन्त्र रूप से काम करने के लिए आवश्यक होंगे।

7. बैठक के दौरान और बैठक के प्रारम्भिक तथा अन्तिम चरणों में भी अनुच्छेद II में उल्लिखित भवनों को तथा स्थानों को "साइटस" सचिवालय समझा जाएगा; ये परिसर और इनमें प्रवेश साइटस सचिवालय के प्राधिकार तथा नियंत्रण के अन्तर्गत होगा।

8. सरकार, बैठक के लिए आवश्यक सभी प्रकार के उपस्करों तथा सामान के आयात की अनुमति देगी जिसमें सम्मेलन की अधिकारिक आवश्यकताओं तथा मनोरंजन कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामान भी शामिल है, और आयात शुल्क तथा देय अन्य शुल्क और करों की अदायगी छूट प्रदान करेगी। सरकार "साइटस" सचिवालय को आवश्यक आयात तथा निर्यात परमिट अविलंब जारी करेगी।

VI पुलिस सुरक्षा

सरकार अपने खर्च पर बैठक के शांतिपूर्ण तथा सुव्यवस्थित संचालन के सुनिश्चय के लिए यथा आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। यद्यपि ये पुलिस सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध किये गए माध्यम/वरिष्ठ रैंक के अधिकारी के सीधे नियंत्रण में होंगी परन्तु यह अधिकारी "साइटस" सचिवालय के उत्तरदायी अधिकारी के घनिष्ठ सहयोग से काम करेगा जिससे सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण का सुनिश्चय हो सके।

VII दायित्व

1. सरकार सीधे रूप से अथवा समुचित बीमे द्वारा "साइटस" सचिवालय अथवा उसके कार्मिकों के विरुद्ध निम्नलिखित के कारण होने वाली किसी कार्यवाई, दावों अथवा अन्य मांगों के प्रति उत्तरदायी होगी :

(क) उपर्युक्त अनुच्छेद II तथा संलग्न समझौता—ज्ञापन अनुबन्ध II में उल्लिखित क्षेत्र में किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को होने वाली हानि।

(ख) उपर्युक्त अनुच्छेद IV के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित परिवहन सेवाओं द्वारा अथवा उनके प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को होने वाली हानि।

(ग) उपर्युक्त अनुच्छेद III पैरा 2 और 3 तथा समझौता ज्ञापन के अनुलग्नक II में उल्लिखित कार्मिकों की बैठक के लिए नियोजन।

2. सरकार "साइटस" सचिवालय और इसके कार्मिकों को ऐसी कार्यवाईयों, दावों अथवा दूसरी मांगों के संबंध में जिम्मेवार नहीं ठहराएगी, सिवाए उस सूरत के जबकि इसके संविदाकारी पक्षों के बीच इस बारे में सहमति हो जाए कि नुकसान अथवा क्षति "साइटस" सचिवालय के कार्मिक की घोर लापरवाही अथवा जान बूझ कर किए गए अविचार के कारण हुई है और ऐसे मामलों में इस बात का निश्चय करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि इसका सिविल दायित्व किस पक्ष पर है।

अगर ऐसी कोई कार्यवाई, दावा अथवा दूसरे प्रकार की मांगें किन्हीं मजबूरी की परिस्थितियों में हुई हैं तो उनके दायित्वों से सरकार और "साइटस" सचिवालय मुक्त होंगे।

3. उपर्युक्त पैरा 1 और 2 में जो कुछ कहा गया है उसके बावजूद सरकार और "साइटस" सचिवालय ऐसी किन्हीं कार्यवाईयों, दावों अथवा अन्य मांगों के कारण बाद में, दूरस्थ अप्रत्यक्ष क्षतियों के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

सी० आर० गारेखा, संयुक्त सचिव (यू०एन०)
विदेश मंत्रालय

अधिसूचना का परिशिष्ट
संयुक्त राज्य का आंतरिक प्रभाग
वाशिंगटन डी० सी०, 5 जनवरी, 1981

उत्तर देते समय एफ० डब्ल्यू० एस०/
डब्ल्यू० पी० ओ० का उल्लेख करें।

श्री समर सिंह,
संयुक्त सचिव (एफ० एन्ड डब्ल्यू० एल०),
भारत सरकार
कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय,
(कृषि विभाग)
नई दिल्ली, भारत 110001

विषय :—भारत सरकार और वन्य प्राणी एवं वनस्पति, जगत की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय (साइट्स) के पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक (भारत) नई दिल्ली में 25 फरवरी से 8 मार्च, 1981 तक के बारे में समझौता ज्ञापन।

महामान्य,

हमारे अभिसमय के महासचिव को कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के निदेशक श्री सी० एस० रंगाचारी के 28 जनवरी, 1980 के पत्र संख्या 18018/1/79 फेज का उल्लेख करते हुए जिसमें भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त बैठक अपने यहां करने का सिद्धान्ततः अनुमोदन दिया गया है।

मैं इस निमंत्रण के लिए आपकी सरकार को धन्यवाद करता हूँ और पक्षकारों के सम्मेलन की ओर से इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं।

I. बैठक का स्वरूप और विषय विस्तार

यह बैठक 3 मार्च, 1973 को वाशिंगटन डी० सी० में स्वीकृत वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय के बारे में अभिसमय के अनुच्छेद-XI के अनुसरण में (साइट्स) के पक्षकारों के सम्मेलन की नियमित बैठक के रूप में आयोजित की जाती है।

जैसा कि इसके साथ संलग्न अनंतिम कार्यसूची (डाक 3.1) में बताया गया है इस बैठक का उद्देश्य इस अभिसमय के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और भविष्य में इसकी प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित कार्यवाही करना है।

II. सहभागी

(क) प्रक्रिया विनियमों के संलग्न प्रारूप (डाक 3.2) के अनुसार "साइटस" पक्षकारों का प्रतिनिधित्व यथोचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा,

(ख) संयुक्त राष्ट्र, इसकी विशेषीकृत एजेंसियां और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और ऐसा कोई भी राज्य जो इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है, अपना प्रतिनिधित्व पर्यवेक्षकों द्वारा कर सकता है।

(ग) अनुच्छेद XI के पैरा 7 में विनिर्दिष्ट वर्गों के वन्य प्राणी एवं वनस्पति के संरक्षण, रक्षण और व्यवस्था में तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त निकाय और एजेंसियां भी अपना प्रतिनिधित्व पर्यवेक्षकों द्वारा कर सकती हैं।

आशा की जाती है कि इसमें विदेशी भागीदारों की कुल संख्या 250 होगी जिसमें प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक और सम्मेलन सचिवालय के सदस्य भी शामिल होंगे।

III. बैठक में स्थान और तारीख

यह बैठक 25 फरवरी से 8 मार्च 1981 तक नई दिल्ली (भारत) स्थित विज्ञान भवन सम्मेलन केन्द्र में होगी।

IV. बैठक का आयोजन

इस बैठक के व्यवहारिक और तकनीकी आयोजन की जिम्मेदारी अपेक्षाओं के संलग्न विवरण के आधार पर, सक्षम मेजबान प्राधिकारियों और अभिसमय सचिवालय की होगा, लेकिन इस बैठक के सुचारु आयोजन का सुनिश्चय करने के लिए अगर इस समझौता ज्ञापन के पक्षकारों की परस्पर सहमति से कोई समंजन करने पड़ें तो इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान उसमें व्यवधान नहीं बनेंगे।

V. विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

भारत सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी की इस बैठक में हिस्सा लेने के हकदार किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में प्रवेश करने, यहां ठहरने और यहां से जाने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाये।

इस बात का भी सुनिश्चय किया जायेगा कि इस बैठक के लिए आवश्यक दस्तावेजों और उपस्करों को बिना किसी प्रतिबंध और आयात/निर्यात शुल्क के भारत में लाने और ले जाने की अनुमति होगी बशर्ते कि लागू सामान्य कानूनी प्रावधानों और नियमों का पालन किया जाये।

इस बैठक से सम्बद्ध सभी मामलों में भारत की सरकार इस बैठक में भाग लेने वाले सरकारी प्रतिनिधियों, और अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय स्टाफ पर संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में अभिसमय के सम्बद्ध प्रावधानों को, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू करेगी।

VI. क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व

जब तक इस बैठक के लिए आरक्षित परिसर इस अभिसमय सचिवालय के अधिकार में होगा तब तक भारत सरकार इस परिसर की सुविधाओं, इस बैठक के लिए उपलब्ध फर्नीचर और उपस्करों को टूट-फूट का दायित्व वहन करेगी और उसमें उपस्थित व्यक्तियों के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका दायित्व भी वहन करेगी। भारत सरकार उपर्युक्त परिसर, सुविधाओं, फर्नीचर, उपस्करों और व्यक्तियों के संरक्षण का सुनिश्चय करने के लिए, विशेषतया आग और अन्य जोखिमों से बचाने के लिए, वे सभी उपाय करेगी जिसे वह आवश्यक समझती हो। भारत सरकार इस अभिसमय सचिवालय के स्टाफ के सदस्यों अथवा एजेंटों द्वारा व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति को पहुंचाए गए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है।

यदि अब महामान्य को उपर्युक्त प्रावधान स्वीकार्य हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें स्वीकार करेंगे। मैं आपका आभारी होउंगा। यदि आप इस पत्र की दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करके एक प्रति मुझे लौटा दें।

इस समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह पत्र भारत सरकार और "साइटस" के पक्षकारों के सम्मलन के बीच इस बैठक का समझौता ज्ञापन बन जायेगा।

महामान्य, मेरी परम आदर भावना का आश्वासन स्वीकार करें।

भारत सरकार की ओर से	साइटस पक्षकार सम्मेलन की ओर से
दिनांक 15-1-81	05.1.1981
हस्ताक्षर और पदनाम	हस्ताक्षर और पदनाम
हस्ताक्षर—एम० के० दल्वी	हस्ताक्षर—
वन महा निरीक्षक	रिचर्ड एम० पार्सन्स
भारत सरकार	स्थायी समिति के अध्यक्ष
कृषि मंत्रालय	
कृषि एवं सहकारिता विभाग	
कृषि भवन, नई दिल्ली	

संलग्नक, अपेक्षा विवरण

अनुबन्ध-I

वन्य प्राणी एवं वनस्पति जगत की संकटापन्न जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध अभिसमय।

सम्बद्ध पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक

नई दिल्ली (भारत), 25 फरवरी से 8 मार्च 1981

अपेक्षाओं का विवरण

(जब तक आगे अन्यथा उल्लिखित न हो, ये सुविधायें आतिथ्य देश द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी)

स्थान और उपस्कर:

एक मुख्य सभाकक्ष: कुल 250 व्यक्तियों के लिये, जिसमें काम के लायक मेजें, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में साथ-साथ अनुवाद के लिये हैडफोन और माइक्रोफोन (बूथ सभाकक्ष के पीछे अथवा विकल्प स्वरूप पाद-पीठ के पीछे होने चाहिए) लगे हों।

दो छोटे सभा-कक्ष: क्रमशः लगभग 80 और 30 व्यक्तियों के लिये।

टेलीफोन की सुविधा से युक्त दस सचिवालय कक्ष: स्थायी समिति, ड्राफ्टिंग समितियों, महासचिव, अभिसमय सचिव, अनुवादकों, दुभाषियों, विश्राम कक्ष और अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश टाइपिंग पूल के लिये जिसमें निम्नलिखित उपकरण सुलभ हों:—

10 इलेक्ट्रिक टाइपराइटर (एक ही तरह के टाइप और गोल्फ बाल वाले)

1–2 हस्तचालित टाइपराइटर

2 आई० बी० एम० स्वचालित टाइपराइटर (आई० बी० एम०—एम०सी०—82)

टाइप कक्षों के लिये 10 मेज और कुर्सियां।

एक बड़ा कमरा प्रतियां आदि तैयार करने वाली मशीनों के लिये और कागजात प्राप्त करने के लिये जिसमें निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध हों:

1 फोटो कापियर (आई० बी० एम०—2 अथवा समकक्ष प्रकार का)

1 डुप्लीकेटर या आफसेट लिथोग्राफिक उपस्कर

1 इलेक्ट्रानिक स्टेंसिल मशीन

1 इलेक्ट्रोनिक कोलेटर (एक बार में 6 शीट के लिये)।

1 इलेक्ट्रिक स्टेप्लर (एक बार में 30 पृष्ठों के लिये) कई विस्तार तारें।

स्वागत योग्य एक स्थान 200-300 व्यक्तियों के लिये—जिसमें खाने वाले रैकों की व्यवस्था हो (संभव हो तो, खाने लम्बे आयताकार हों) और जिसमें बड़ी मेज या स्वागत डैस्क हो और उसमें दराजें भी हों।

2, ऐसे नोटिस बोर्ड जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधायें भी उपलब्ध की जा सकें तो अच्छा होगा.

एक प्रेस कक्ष जिसमें टेलीविजन और रेडियो साक्षात्कार की सुविधा सहित सामान्य प्रेस सुविधायें और कुछ मेजें, कुर्सियां और टेलीफोन हों।

एक कक्ष जिसमें फिल्में और स्लाइडें दिखाने की सुविधा हो

एक सिनेमा प्रोजेक्टर (16 मि० मी०) जिसके साथ 35 मि०मी० की रंगीन स्लाइडों के लिये, ध्वनि प्रोजेक्टर भी हो।

एक लांज जिसमें प्रकाशनों की प्रदर्शनी के लिये कमरा हो और जिसमें प्रदर्शनी के योग्य बुक स्टैंड हो।

लेखन सामग्री: (जिसकी मात्रा पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाएगी)।

बांड पेपर (सादा सफेद कागज ए4, 80 ग्रा०)

लिखने के लिये ब्लाक

खानों के लिये लेबल, स्वत: चिपकने वाले (तीन रंग के)

पेंसिलें

पैड

मैनुअल स्टेप्लर

पंच (ए4 कागज के लिये, 2 छेद वाला)

पेपर क्लिप

कार्बन पेपर

बड़े लिफाफे (ए4 आकार के)

इलास्टिक बैंड

रबड़ मिटाने वाला (साधारण और टाइपराइटर)

टाइप करने वालों के लिये तरल टिपेक्स कोरेक्टर पेस्ट

प्लास्टिक के पारदर्शी फोल्डर (छेद वाले और बिना छेद वाले)

गोंद

हिंज बैंक बाइंडर (2 छेद वाले ए4)

रिंग बाइंडर (2 छेद वाले ए4)

अनुवादकों के लिये उपयुक्त शब्द कोश (इंगलिश/फ्रैंच और फ्रैंच/इंग्लिश, स्पेनिश) अनुबन्ध-II

सचिवालय:

लिपिकीय स्टाफ (2 टाइपिस्ट इंगलिश, फ्रैंच और स्पेनिश)

तकनीशियन (साथ-साथ अनुवाद और हो सके तो फिल्म उपस्कर)

डुप्लीकेटर और फोटो कापियर के लिये मशीन चालक*

अतिरिक्त सहायक स्टाफ (प्रवेशक, संदेशवाहक, प्रलेख प्राप्त करने और वितरण करने के लिये स्टाफ)

दुभाषिए और अनुवादक:

अभिसमय सचिवालय को इंगलिश, फ्रैंच और स्पेनिश के लिये दुभाषियों और सम्मेलन में तैयार किये गये प्रलेखों, जैसे मसौदा संकल्प के इंगलिश, फ्रैंच और स्पेनिश अनुवादकों के लिये अनुवादकों की व्यवस्था करनी होगी (प्रत्येक भाषा के लिये एक-एक)

स्वागती:

हवाई अड्डे पर स्वागत कर्मचारी जो इसमें भाग लेने के लिये सामान के साथ आने वाले व्यक्तियों की सहायता करें और होटलों तक पहुंचायें (अंग्रेजी और फ्रैंच भाषी), सम्मेलन केन्द्र पर स्थानीय सूचना, अमला, होटल रजिस्ट्रेशन और यात्रा प्रबन्ध के लिए (इंगलिश और फ्रैंच भाषी)

सम्मेलन केन्द्र पर सेवाएं:

सम्मेलन स्थल पर जाने और वहां से लाने के लिये परिवहन की सुविधा (नि:शुल्क) मुद्रा विनिमय, डाक, टेलीफोन, काफी बार/कैफीटेरिया और प्राथमिक चिकित्सा/दवा की सुविधा (भाग लेने वालों के खर्च पर)

आतिथ्य और भ्रमण

इसकी व्यवस्था आतिथेय सरकार द्वारा की जायेगी और इसमें निकटतम वन्य पशु विहार की व्यवस्थित यात्रा भी शामिल है।

*इनमें से कुछ को रात की पारी में भी आना पड़ सकता है।

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 1981

संकल्प

सं० ई- 11015(3)/80-हिं० अ०—उद्योग मंत्रालय के दिनांक 3 मार्च, 1979 के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय के लिये हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन कार्य आदि निम्नलिखित होंगे:—

1. उद्योग राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. उद्योग उपमंत्री	उपाध्यक्ष
3. लोक सभा सदस्य (नामित किये जाने हैं)	सदस्य
4. लोक सभा सदस्य (नामित किये जाने हैं)	सदस्य
5. राज्य सभा सदस्य (नामित किये जाने हैं)	सदस्य
6. राज्य सभा सदस्य (नामित किये जाने हैं)	सदस्य
7. श्री ओम मेहता संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
8. श्री वी० वेन्का संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
9. सचिव (औद्योगिक विकास विभाग)	सदस्य
10. सचिव (भारी उद्योग विभाग)	सदस्य
11. सचिव, तकनीकी विकास एवं तकनीकी विकास के महानिदेशक	सदस्य
12. सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
13. अपर सचिव (औद्योगिक विकास विभाग)	सदस्य
14. अपर सचिव (भारी उद्योग विभाग)	सदस्य
15. वित्तीय सलाहकार (औद्योगिक विकास विभाग)	सदस्य
16. संयुक्त सचिव (प्रभारी हिन्दी) (भारी उद्योग विभाग)	सदस्य
17. संयुक्त सचिव (प्रशासन) (औद्योगिक विकास विभाग)	सदस्य
18. संयुक्त सचिव (प्रशासन) (भारी उद्योग विभाग)	सदस्य
19. संयुक्त सचिव, औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (औद्योगिक विकास विभाग)	सदस्य
20. संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग)	सदस्य
21. विकास आयुक्त (लघु उद्योग)	सदस्य
22. आर्थिक सलाहकार	सदस्य
23. अध्यक्ष, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो	सदस्य
24. सीमेंट नियंत्रक, सीमेंट नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
25. श्री कृष्ण चन्द्र विद्यालंकार, सम्पादक विल, नई दिल्ली।	सदस्य

26. श्री हरिबाबू कंसल — सदस्य
मंत्री, नागरी लिपि परिषद्,
गांधी स्मारक निधि, राजघाट,
नई दिल्ली।

27. महामंत्री, — सदस्य
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा,
मद्रास।

28. महामंत्री, — सदस्य
नागरी प्रचारिणी सभा,
वाराणसी।

29. हिन्दी कार्य के प्रभारी,
संयुक्त सचिव (औद्योगिक विकास विभाग) — सदस्य सचिव

2. कार्य:

इस समिति के कार्य उद्योग मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रभावी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति संबंधी ढांचे के अंतर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल:

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्षों का होगा बशर्ते कि:—

(क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहते ही वह इस समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा।

(ख) समिति के पदेन-सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिसके कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य शेष तीन वर्षों की अवधि के लिये सदस्य रहेगा।

4. सामान्य:

(1) समिति आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकती है।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान में भी कर सकती है।

5. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति तथा उप समितियों की बैठकों में समय समय पर भाग लेने के लिये सरकार द्वारा निश्चित दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य निर्माण तथा विविध और भारत के सभी मंत्रालय था विभागों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया गया कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

का० सं० ई—11015/1/75 हि० अ०

मनीश बहल, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी, 1981

संकल्प

सं० पी० 17011/1/74-एल० एण्ड एम०—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के भूतपूर्व सहकारिता विभाग के 2 जनवरी, 1974 के संकल्प सं० पी० 17011/1/74-टी० एंड एम० के अधिक्रमण में भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों में उच्च प्रबंधकीय पदों के लिये नामिका प्राधिकरण का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(1) केन्द्रीय कृषि मंत्री	अध्यक्ष
(2) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ	उपाध्यक्ष
(3) तथा (4) राष्ट्रीय स्तर के दो सहकारी परिसंघों के अध्यक्ष	सदस्य
(5) सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग)	सदस्य
(6) अपर सचिव (सी० सी० टी०) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)	सदस्य
(7) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	सदस्य
(8) एक प्रबंध विशेषज्ञ	सदस्य
(9) सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक	सदस्य संयोजक

2. राष्ट्रीय स्तर के दो सहकारी परिसंघों के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध विशेषज्ञ 2 वर्ष की अवधि के लिये नामिका प्राधिकरण के सदस्य होंगे।

3. नामिका प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

(1) राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों के उन उच्च प्रबंधकीय पदों, जिन्हें नामिका प्राधिकरण के क्षेत्र में लाने की जरूरत है, की सूचियां तैयार करना और उनका उपयुक्त रूप से श्रेणीकरण करना।

(2) नामों की नामिकायें तैयार करना, जिनमें से राष्ट्रीय स्तर के सहकारी परिसंघ पूर्वोक्त सूची में शामिल किये गये पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं।

(3) राष्ट्रीय स्तर के सहकारी परिसंघों को उच्च प्रबंधकीय कार्मिकों के चयन तथा नियुक्ति की शर्तों के मामले में सलाह देगा।

4. नामिका प्राधिकरण समय समय पर नामिका में संशोधन कर सकता है।

5. नामिका प्राधिकरण विभिन्न नामिकाओं में शामिल करने के लिये कार्मिकों के चयन और राष्ट्रीय स्तर के सहकारी परिसंघों को नाम सूचित करने के लिये अपनी पद्धति तैयार करेगा। नामिका प्राधिकरण किसी विशिष्ठ पद अथवा पदों के वर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु एक अन्य सदस्य सहयोजित कर सकता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां निम्नलिखित को भेजी जाएं:—

(1) राष्ट्रीय स्तर के सभी सहकारी परिसंघ

(2) धार्मिक प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य

(3) सभी राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारिता के प्रभारी सचिव

(4) सभी राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक।

(5) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4 सिरी, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।

(6) सचिव, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, 3 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।

(7) निदेशक, बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, गणेश खिंद रोड, पूना 16।

(8) सचिव, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय।

बी० के० सिन्हा, मुख्य निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 1981

सं० 22-1777/एल० डी०-I—भारतीय डेरी निगम की संगम की नियमावली के नियम 15(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इस विभाग के संयुक्त सचिव (वित्त) श्री एम० वाई० प्रियोलकर को तत्काल से कृषि और सहकारिता विभाग के तत्कालीन वित्तीय सलाहकार श्री यू० वैद्यनाथन के स्थान पर भारतीय डेरी निगम के निदेशकों के मंडल में निदेशक के तौर पर नामजद करते हैं।

के० उथियालियाप्पन, निदेशक (डेरी विकास)

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सं० एफ० 1-6/78-डेस्क-I (खेल)—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 1-6/78-खेल, दिनांक 9 जून, 1978 के अनुसरण में और इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर, 1980 के क्रम में एतद्द्वारा डा० एम० सत्यनारायण को तत्काल से 20 जुलाई, 1981 तक के लिये अखिल भारतीय खेल परिषद् में मौजूदा रिक्ति पर अखिल भारतीय खेल परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

शंकर लाल, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी, 1981

संकल्प

सं० एफ० 15-13/80-डी०-III(एल०)—भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में प्रकाशित भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 15-43/77-डी०-III (एल०) दिनांक 10 नवम्बर, 1978 में:—

1 गठन: पृष्ठ 2 पैरा 4 पर

(vii) प्रविष्टि 'अध्यक्ष' के सामने राज्य मंत्री के स्थान पर "केन्द्रीय शिक्षा मंत्री" पढ़ें

(viii) प्रविष्टि 'सलाहकार' के सामने 'अध्यक्ष' पढ़ें।

(xiii) प्रविष्टि 'संयुक्त शिक्षा सलाहकार' (भाषाएं)' के सामने 'अपर सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय' पढ़ें।

(xiv) प्रविष्टि निदेशक/उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार (भाषा) के सामने 'निदेशक, उर्दू तरक्की ब्यूरो पढ़ें।

निम्नलिखित जोड़ा जाता है:—

(xv) निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

2. पृष्ठ 2 पर पैरा 4, उप पैरा 23 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा: "अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नामजद व्यक्ति, निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, तथा महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का नामजद व्यक्ति बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे।"

3. पृष्ठ 3 पर पैरा 4, उप-पैरा 5 इस प्रकार पढ़ा जायेगा: "उर्दू तरक्की ब्यूरो के निदेशक बोर्ड के पदेन सदस्य-सचिव होंगे।"

4 पृष्ठ 3 पर पैरा 8 पंक्ति 2-3 पर प्रविष्टि "बोर्ड के अध्यक्ष" के स्थान पर "शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मंत्री" पढ़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपियां तरक्की उर्दू बोर्ड के सभी सदस्यों, सलाहकार, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, सभी कुलपतियों, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली स्थायी आयोग, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाए।

के० के० खुल्लर, उप सचिव

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 फरवरी, 1981

संकल्प

विषय:—जहाजों पर काम करने वाले केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के कर्मचारियों के कार्य घंटों की जांच करने के लिये एक समिति बनाना।

सं० 9-आई० डब्ल्यू० टी० (18)/80-सी० एण्ड ई०—इस मंत्रालय के दिनांक 12-12-80 के संकल्प सं० 9-आई० डब्ल्यू० टी० (18)/80 सी० एण्ड ई० के पहले पैरा के मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए

कप्तान एम० एस० कोरेरा
प्रबन्धक,
बेड़ा कार्मिक विभाग
भारतीय नौवहन निगम
बम्बई। सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यशवन्त सिन्हा, संयुक्त सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर, 1980

संकल्प

सं० 55027/(7)/80—सी० आर० सी०—इस विभाग के संकल्प सं० 55027/(1)/77—सी० पी० सी० दिनांक 21 फरवरी, 1977 का जिसके द्वारा कोयला विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति "खनन इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण पर संयुक्त बोर्ड" बनाई गई थी, आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्ताव है कि उपर्युक्त स्थाई समिति का अध्यक्ष इस प्रकार हो —

'ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में संयुक्त सचिव अथवा संयुक्त सचिव के बराबर अथवा उससे ऊंचे ओहदे का कोई अन्य अधिकारी"

आदेश:

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों सहित सभी सम्बद्ध लोगों, मंत्रिमंडल सचिवालय आदि, तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

श्रीमती कृष्णलेखा सूद,
निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1981

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/80/38/1—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 24-12-80 के संकल्प सं० हिन्दी/समिति/80/38/1 के क्रम में कार्मिक सदस्य, रेलवे बोर्ड को यातायात सदस्य, रेलवे बोर्ड के स्थान पर रेल मंत्रालय के अधीन गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

हिम्मत सिंह, सचिव
रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 21st February 1981

No 10/Pres /81—The President is peased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police

Name and rank of the officer

Shri H M Sunil Kumar, (*Deceased*)
Sub Inspector of Police,
Munireddipalya Police Station,
Bangalore City,
Karnataka

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of the 8th April, 1980, Shri H. M. Sunil Kumar who was proceeding towards Munireddipalya Police Station in a Police Van was stopped in front of the Canton ment Railway Station by some porters who sought his help in tackling a stranger who had stabbed two of the Railway porters and was also threatening others Shri Sunil Kumar, followed by the Police Constables who were accompanying him in the Police Van, went to the spot and caught hold of the stranger who was wielding a knife But before Shri Sunil Kumar could disarm the assailant, he stabbed Shri Sunil Kumar in the lower abdomen The Police constables and others pelted stones on the assailant and overpowered him Shri Sunil Kumar holding his abdomn walked towards the Van and asked to be taken to the Hospital But within minutes he succumbed to his deep stab injury

In this action Shri H M Sunil Kumar exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of a very high order

2 This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 8th April, 1980

No 11-Pres /81—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police :

Name and rank of the officer

Shri S D Patil,
Sub-Inspector of Police,
Kolar Town Police Station,
Karnataka.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th January, 1979, a group of students of the Government College, Kolar took out a procession in support of their demands They presented a memorandum to the Deputy Commissioner On their way back, they ate bananas from a fruit vendor but refused to make any payment to him This led to an altercation which, in turn, escalated into a law and order situation Immediately a mob armed with deadly weapons, stones, daggers, etc collected and started making mischief by placing boulders in the middle of the road in Ammavarpat area. On receiving the information, Shri S D Patil, Sub Inspector of Police rushed to the spot with the police force available and warned the mob to disperse But the mob did not pay any heed and threw a stone at Shri Patil which hit him on his forehead but he did not move away and kept facing the fury of the mob. He was assaulted with a cycle chain and his injury started bleeding He was also attacked with knife but he side-stepped He was badly battered on the face. Shri Patil became unconscious and was removed to hospital The mob was dispersed after arrival of reinforcement

In this action Shri S D Patil exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

2 This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 8th January, 1979.

No. 12 Pres /81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police

Name and rank of the officer

Shri Vinod Vithal Bhat,
Sub-Inspector of Police,
Greater Bombay,
Maharashtra

Shri Balkrishna Jaywant Bandekar,
Police Constable B. No 6480/F
Greater Bombay,
Maharashtra

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 26th September, 1979 at about 0225 hours Shri Vinod Vithal Bhat, Sub Inspector of Police received information that one Jaya alias Janraj More a desperate criminal, who was wanted in several cases of assaults and robbery, had taken refuge in the Chawls of Kohinoor Mills Shri Bhat along with five policemen including Shri Balkrishna Jaywant Bandekar rushed to the spot but the criminal could not be traced. However, while returning, Shri Bhat noticed 5-6 men sitting on the pavement in front of 'Baliram Niwas' On seeing the police party, the criminals ran in two directions The police party was also divided into two groups While four policemen chased one group, Shri Bhat and Shri Balkrishna Jaywant Bandekar went after the criminals who had gone inside the 'Baliram Niwas' compound Shri Bhat himself entered the compound from the northern side and Shri Bandekar was asked to enter the compound from the southern side On entering the compound, Shri Bhat saw three persons on the water tank who on seeing him jumped from the tank and tried to escape from the southern side where Shri Bandekar caught hold of one of the criminals named Digambar Harichandra Yadav a notorious criminal Yadav, however, managed to whip out a Rempuri' knife from his pocket and stabbed Shri Bandekar thrice in his arm-pit inflicting three incised wounds But Shri Bandekar in disregard of he profuse bleeding and intense pain did not loose his grip On seeing Shri Bhat approaching him, Yadav managed to get himself free from the grip of the Constable and tried to attack Shri Bhat with open knife Shri Bhat leaned back to ward off the attack but he was not successful and received an injury on the left side of his neck The criminal charged Shri Bhat again but Shri Bhat threw the torch, which he was carrying, on the face of the criminal, jumped on him and caught hold of his right hand The criminal was overpowered and taken to the Police Station

In this action Shri Vinod Vithal Bhat and Shri Balkrishna Yaywant Bandekar exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

2 These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th September, 1979.

S NILAKANTAN,
Deputy Secy to the President

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

New Delhi the 10th February 1981

ORDER

No 27(26)81-CL-II.—In pursuance of clause (ii) of Sub section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following Officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209A —

1 Shri V Govindan, Joint Director, Inspection

2 Shri Rakesh Chandra Asstt Inspecting Office

3 Shri P S Anwar, Deputy Director, Inspection.

2 The Central Government hereby revokes the earlier authorisation issued in favour of Shri V. Govindan as Inspecting Officer, Madras and also of Shri O. P Chadha as Inspecting Officer, Bombay vide this Department's Order No 53(2)73-CL II dated the 11th July, 1973 and 27(8)77-CL-II dated 10-6 77

KESHAW PRASAD, Under Secy

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th February 1981

No UI/251 1 14/80.—Whereas, upon the invitation of the Government of India and acceptance thereof by the Conference of the Parties, the Third Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall be held in New Delhi from February 25 to March 8, 1981

And Whereas, a Memorandum of Understanding was concluded on 15 1 1981 between the Government of India and CITES Secretariat regarding the arrangements for the Third Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provision set out in the schedule to the said Act shall, to the extent, it is necessary, to give effect to the Memorandum of Understanding hereto annexed, apply, *mutatis mutandis*, to the Third Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Endangered Species of Wild Fauna and Flora and its representatives and Officers

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The Meeting is convened as a regular meeting of the Conference of CITES Parties pursuant to Article XI of the Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora, adopted at Washington, D C, on 3rd March, 1973 and entered into force from July 1, 1975 Following acceptance by Conference of Parties, of the invitation by Government of India to hold the Third Meeting of the Conference of Parties to the Convention on Endangered Species of Wild Fauna and Flora at New Delhi from February 25th to 8th March, 1981 (hereinafter referred to as 'MEETING', the Government of India (hereinafter referred to as 'THE GOVERNMENT') and the CITIES Secretariat hereby agree as follows —

I PARTICIPATION —

(a) CITES Parties will be represented by duly authorised delegates

(b) The United Nations, its specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Party to the Convention, may be represented by observers, who shall have the right to participate but not to vote

(c) Bodies or agencies technically qualified in protection, conservation or management of Wild Fauna and Flora in the following categories who have informed the secretariat of their desire to be represented at meetings of the Conference by observers, shall be admitted unless at least one-third of the parties present object

(i) international agencies or bodies either governmental or non-governmental, and national governmental agencies and bodies, and

(ii) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this purpose by the state in which they are located Once admitted these observers shall have the right to participate but not to vote

II PREMISES, EQUIPMENT UTILITIES AND STATIONERY SUPPLIES —

The Government shall make available at its expense such meeting space and facilities at New Delhi as will be neces-

sary for the holding of the Meeting. The Meeting premises and their facilities are listed in the Annex 1, annexed to the 'Memorandum of Understanding', suitable working areas and all the necessary equipment for the Press and other information media will also be provided by the Government.

2. The premises shall remain at the disposition of the CITES Secretariat throughout the Meeting and for such additional time in advance of the opening and after the closing as the Secretariat of CITES, on consultation with the Government shall deem necessary for the preparation and settlement of all matters connected with the Meeting.

3. The Government shall, at its expense, furnish, equip and maintain in good repair all the afore-mentioned rooms and offices, which are listed in Annexure 1 to the M.O.U., in a manner adequate to the effective conduct of the Meeting.

4. The Government shall, at its expense, furnish and maintain such equipment as memograph, other duplicating and photocopying machines, type-writers with beyboards in the languages required, tape recorders and such other equipment as is necessary for the effective conduct of the Meeting as listed in Annex. I to the Memorandum of Understanding.

5. The Government shall also provide, at its expense, durable items of necessary office supplies such as staplers, ashtrays, scissors, waste-paper baskets, letter openers, desk calenders, blotting pads, etc., for the purpose of the Meeting.

6. The Government shall provide within the Meeting area a Bank, a Post Office and telephone, telegraph and travel facilities, first aid facilities, a cafetaria and restaurant, as well as multilingual information services. Space for the public invited or permitted to attend the Meeting should also be provided.

7. The Government shall pay for use of all necessary utility services including telephone communications of the Secretariat of the Meeting in New Delhi and all duly authorised official communications by telex and telephone between the Secretariat of the Meeting and CITES Secretariat at Mont Blanc and United Nations Headquarters at New York.

8. CITES shall provide at its expense all stationery supplies necessary for the functioning of the Meeting, as well as the stencils and paper required for documents reproduction. The Government shall bear and pay the transport and insurance charges for their shipment from Mont Blanc or New York to New Delhi and return.

9. The Meeting area shall also have medical facilities which shall be adequate to provide first aid for emergencies. Immediate access and admission to hospital will be assured by the Government whenever required, and the necessary transport shall be constantly available on call.

III. STAFF :

CITES Secretariat will require at New Delhi the international staff listed in Annex. II of the M.O.U. and the Government shall put at the disposal of the Secretariat such staff as required.

2. The Government shall appoint a liaison officer who shall be responsible in consultation with the CITES for making and carrying out the administrative and personnel arrangements for Meeting in terms of 'MOU'.

3. The Government, following consultation with CITES, will make available at its expense, and under its administrative control, the local staff listed in Annex. II of the M.O.U. and required to :—

(a) Reproduce and distribute the documents needed by and for the Meeting;

(b) Perform duties such as typists, clerks, messengers, security guards, store keepers, and conference room personnel, in lieu of CITES staff available in Mont Blanc.

(c) Provide the services and such staff that may be necessary for custodial and maintenance services for the equipment and premises made available in connection with the Meeting.

4. The local staff referred to above will be placed under the general supervision of the Executive Director of UNEP and made available before and after the Meeting, to the extent required for its conduct.

IV. TRANSPORTATION AND SUBSISTENCE :

1. Travel to the Meeting will, to the extent feasible, be based on airline excursion fares from their respective duty stations to New Delhi and return. Any member of the International staff who wishes to return to his duty station by an indirect route may do so provided that he himself pays any excess over the cost of such excursion fares/direct commercial flight.

2. The Government shall provide transport at its expense for the use of the Executive Director of UNEP and the Meeting staff. The Government shall also provide, at no cost to CITES such additional facilities as may be required for the transportation of CITES staff from the Delhi Airport to their hotels in Delhi upon arrival and from their hotels to the Airport upon departure. The Government shall also provide for the transportation of Conference equipments and materials from the Airport (or port) to the Meeting premises and back.

3. The Government shall make available facilities to assist delegations, Secretariat, Press and other participants in the Meeting in making hotel reservations for the duration of the Meeting. All such facilities will be provided at the cost of the participants, and the accounts will be directly settled by the participants with the hotel authorities and others concerned. The Government shall have and accept no responsibility or liability in this respect.

4. Cost of organised visit to nearest wildlife sanctuary, if any, will be borne by the host Government.

V. PRIVILEGES AND IMMUNITIES :

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations and its Specialised Agencies shall be applicable with respect to the Meeting. Accordingly, the representatives of States and of the United Nations, its Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency, officials of the United Nations performing functions in connection with the Meeting and bodies or agencies referred to in para I (c) shall enjov the said privileges and immunities.

2. Observers from the specialised agencies at the Meeting shall enjoy the privileges and immunities under Articles VI and VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies. Observers from the International Atomic Energy Agency at the Meeting shall enjoy the privileges and immunities provided under Article VI and IX of the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency. Observers from other inter-governmental and non-governmental organisations invited to the Meeting as observers shall enjoy the privileges and immunities provided under Article V of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

3. Without prejudice to the Convention on privileges and immunities of the United Nations, all persons performing functions in connection with the Meeting, including representatives of international organisations, representatives of foreign information media and other persons invited to the Meeting by the CITES Secretariat who are duly accredited as such shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken, written and all acts performed by them in their official capacity in connection with the Meeting.

4. The Government shall ensure that no impediment is imposed on transit to and from the Meeting of any person entitled to attend the Meeting and the representatives of the Press or Radio, Television, Film or other information agencies accredited by the CITES Secretariat upon consultation with the Government and other persons officially invited to the Meeting by the CITES Secretariat.

5. All the persons referred to in this section with the exception of local staff recruited by the Government shall have the right of entry into and exit from India. They shall be granted reasonable facilities for speedy travel, visas where required shall be granted, free of charge as speedily as possible and when applications are received at least two and a half weeks before the opening of the Meeting, not later than two weeks before the date of the Meeting. If the application for the visa is not made at least two and a half weeks before the opening of the Meeting, the visa shall be granted not later than three days from the receipt of the application.

Exist permit, where required, shall be granted free of charge and as speedily as possible, in any case not later than three days before the closing of the Meeting.

6. In adition, all participants and all persons performing functions in connection with the Meeting shall enjoy such facilities and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Meeting.

7. During the Meeting, including the preparatory and final stages of the Meeting, the buildings and areas referred to in Article II shall be deemed to constitute CITES Secretariat; premises and access thereto shall be subject to the authority and control of CITES Secretariat.

8. The Government shall allow the importation of all equipment and supplies necessary for the Meeting, including those needed for the official requirements and entertainment schedule of the Conference, and exempt then from the payment of the import duties and other duites and taxes to wheih they are liable. It shall issue without delay to the CITES Secretariat any necessary import and export permits.

VI. POLICE PROTECTION :

The Government shall provide at its expense such police protection as may be required to ensure the peaceful and orderly functioning of the Meeting. While such police services shall be under the direct supervision and control of an officer of the medium/senior rank provided by the Government this officer shall work in close co-operation with the responsible CITES Secretariat official so as to ensure a proper atmosphere of security and tranquility.

VII. LIABILITY :

1. The Government shall, either directly or through appropriate insurance coverage, be responsible for dealing with any actions, claims or other demands against the CITES Secretariat or its personnel and arising out of :

(a) Injury or damage to person or property in the premises referred to in Article II above and in Annex. II of the Memorandum of Understanding attached.

(b) Injury or damage to person or property caused by, or incurred by using, the transport services referred to an Article IV, paragraph 2 above;

(c) The employment for the Meeting of the personnel referred to in Article III, paragraph 2 and 3 above and in Annex II of the Memorandum of Understanding.

2. The Government shall hold harmless the CITES Secretariat and its personnel in respect of such actions, claims or other demands, except when it is agreed by the parties here to that such damage or injury is caused by gross negligence or wilful misconduct of the CITES Secretariat personnel in which cases steps—shall be taken to establish the civil liability of the party responsible.

Any such actions, claims or other demands airsing out of events attributable to *force majeure* shall exempt the 'Government and the CITES Secretariat from any obligation.

3. Notwithstanding anything contained in paragraphs 1 and 2 above, the Government and the CITES Secretariat shall not be liable for any consequential, remote or indirect damages arising out of such actions, claims or other demands.

C. R. CHAREKHAN, Jt. Secy (UN)
Ministry of External Affairs.

ANNEXURE TO THE NOTIFICATION

UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR
WASHINGTON D.C.

5th January 1981

In Reply Refer to :
FWS/WPO

Mr. Samar Singh
Jt. Secretary (F&WL)

Government of India

Ministry of Agriculture & Irrigation

(Department of Agriculture)

New Delhi, India 110 001

Subject :—Memorandum of Understanding between the Government of India and the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) concerning the Third Meeting of the Conference, New Delhi (India), 25th February to 8th March 1981

Your Excellency,

I have the honour to refer to Letter No. 18018/1/79-FAN dated the 28th January 1980 from Shri C. S. Rangachari, Director in the Ministry of Agriculture & Irrigation, to the Secretary General of our Convention, conveying the approval in principle of the Government of India to hosting the above-mentioned meeting. I wish to thank your Government for this kind invitation which, on behalf of the Conference of the Parties, I gladly accept.

I. *Nature and Scope of the Meeting*

The meeting is convened as a regular meeting of the Conference of CITES Parties pursuant to Article XI of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, adopted at Washington, D.C. on 3rd March 1973. The purpose of the meeting, as outlined in the enclosed Provisional Agenda (Doc. 3.1), is to review the implementation of the Convention and to take such action as may be required to improve its effectiveness in the future.

II *Participants*

In accordance with the enclosed Draft Rules of Procedure (Doc. 3.2) :

(a) CITES Parties will be represented by duly authorised delegates;

(b) The United Nations, its Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Party to the Convention, may be represented by observers;

(c) Bodies or agencies technically qualified in protection, conservation or management of wild fauna and flora, in the categories specified in Article XI paragraph 7, may also be represented by observers.

The total number of foreign participants, including delegates, observers, and members of the Conference Secretariat is expected to be about 250.

III. *Place and Date of the Meeting*

The meeting will take place at the Vigyan Bhavan Conference Centre of New Delhi (India) from 25 February to 8 March 1981.

IV. *Organization of the Meeting*

The responsibility for the practical and technical organization of the meeting shall be shared by the competent host authorities and the Convention Secretariat, on the basis of the attached statement of requirements; provided that the provisions of the present Memorandum of Understanding shall not prevent the Parties to this Understanding from making such adjustments as may be mutually agreed in order to ensure the efficient organization of the meeting.

V. *Privileges and Immunities*

The Government of India shall ensure that no restriction is placed upon the right of entry into, sojourn in, and departure from its territory of any person entitled to attend the meeting.

It shall also ensure that documents and equipment needed for the meeting will be permitted to enter and leave the territory of India without restrictions and without import/export duty, provided that the applicable general legal provisions and rules are observed.

In all matters relating to this meeting, the Government of India shall apply, *mutatis mutandis*, the relevant provisions of the Conventions on the Privileges and Immunities of the United Nations and its Specialised Agencies to Government representatives, and to international secretariat staff participating in the meeting.

VI. *Liability for Damage*

As long as the premises reserved for the meeting are at the disposal of the Convention Secretariat, the Government of India shall bear the risk of damage to the premises, facilities, furniture and equipment made available for the meeting, and shall bear the liability for accidents that may occur

to persons present therein. The Government of India shall be entitled to adopt whatever measure it may deem fit to ensure the protection, particularly against fire and other risks, of the above-mentioned premises, facilities, furniture, equipment and persons The Government of India may claim compensation for damage to persons or property caused by staff members or agents of the Convention Secretariat.

If, as I venture to hope, the above provisions are acceptable to Your Excellency, I should be grateful if you would sign both copies of this letter and return one copy to me.

Upon signature by both Parties to this Understanding, the present letter shall constitute the Memorandum of Under tending between the Government of India and the Conference of CITES Parties in respect of this meeting.

Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

For the Government of India

For the Conference of CITES Parties

Date : 15-1-81 Date : Jan 05 1981

Signature and Title : Signature and Title :

Sd/-M. K Dalvi Sd/-Richard M. Parsons
Government of India Chairman of the Standing Committee
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Coop.
Krishi Bhavan
New Delhi-110 001
Enclosure. Statement of Requirements

ANNEX : I

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

Third Meeting of the Conference of the Parties

New Delhi (India), 25 February to 8 March 1981

Statement of Requirements

(Unless otherwise stated hereinafter, facilities will be provided by the Host Government)

ACCOMMODATION AND EQUIPMENT :

1 *main conference room*.—with working tables, headphones and microphones for simultaneous interpretation into English, French and Spanish (the booths should be placed back of the Conference room or alternatively behind the podium) for a total of 250 participants.

2 *small meeting rooms*.—for approx. 80 and 30 participants respectively.

10 *secretariat rooms with telephones*—for Standing Committee, drafting commitees, Secretary General, Convention Secretariat, translators, interpreters' rest room, English, French and Spanish typing pool with :

10 electric typewriters (with same kind of printing/golf ball)

1-2 manual typewriters

2 IBM automatic typewriters (IBM MS-82)

10 typing desks and chairs for secretariat staff

1 *large room for reproduction machinery and collating of documents with* :

1 photocopier (IBM-2 type or equivalent)

1 duplicator or offset lithographic equipment

1 electronic stencil machine

1 electronic collator (takes up to 6 sheets)

1 electric stapler (takes upto 30 pages)
several extension cords

1 *reception area*.—with pigeon holes (horizontal, if possible) for 200-300 participants with :

1 big table or reception desk with drawers

2 movable notice boards

In addition, it would be desirable to have the following available :

1 *press room*.—with usual press facilities, including facility for television and radio interviews and some desks, chairs and telephones.

1 *room with facilities for projecting films and slides*.

1 cine projector (16 mm) with synchronized sound projector for 35 mm colour slides.

1 lounge with room for exhibition of publications, including exhibition book stands.

STATIONARY :

(Quantity to be determined by mutual agreement)
Bond paper (plain white paper A4, 80 gr.)
Blocks for writing
Labels for pigeon holes, self-adhesive (3 colours)
Pencils
Pads
Manual staplers
Punches (for A4 paper, with 2 holes)
Paper clips
Carbon paper
Big envelopes (A4 size)
Elastic bands
Erasers (ordinary and typewriter)
Liquid tippex, corrector paste, for typists
Transparent plastic folders (with and without holes)
Glue
Hinge-back binders (A4 with 2 holes)
Ring binders (A4 with 2 holes)
Dictionaries for use by translators (English/French and French/English, Spanish as appropriate)

ANNEX : II

SECRETARIAT :

Secretariat staff* (2 typists for English, French and Spanish)

Technicians (simultaneous interpretation and possibly film equipment.

Machine operator for duplicator and photocopier.*

Additional support Staff* (e.g. ushers, messengers, staff for document collection and distribution).

INTERPRETERS AND TRANSLATORS :

Convention Secretariat to hire conference interpreters for simultaneous interpretation in English, French and Spanish and translators for meeting documents produced during the Conference in English, French and Spanish (one for each language), such as draft resolutions.

RECEPTIONISTS :

Reception staff at the airport helping participants with luggage and transfer to hotels (English and French speaking) Local information staff at conference centre, for hotel registration as well as travel arrangements (English and French speaking)

SERVICES AT CONFERENCE CENTRE :

Transport facilities to and from conference centre (free of charge).

Facilities for currency exchange, postal services, telephone, coffee bar/cafetaria and medical first aid/pharmacy facilities (services at the expense of participants).

HOSPITALITY AND EXCURSIONS :

To be arranged by the host government, including organized visit to nearest wildlife sanctuary.

---

*Night-shifts may be required for some of these.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi the 13th February 1981

RESOLUTION

No E 11015(3)/80 HS—In supersession of the Ministry of Industry's Resolution of even number dated the 3rd March, 1979, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Industry Its composition functions etc will be as given hereunder —

Chairman

1 Minister of State in the Ministry of Industry

Vice-Chairman

2 Deputy Minister—Industry

Members

3 Member of Parliament (Lok Sabha) (to be nominated)

4 Member of Parliament (Lok Sabha) (to be nominated)

5 Member of Parliament (Rajya Sabha) (to be nominated)

6 Member of Parliament (Rajya Sabha) (to be nominated)

7 Shri Om Mehta M P (Rajya Sabha)

8 Shri V Venka, M P (Rajya Sabha)

9 Secretary (Deptt of Industrial Development)

10 Secretary (Deptt of Heavy Industry)

11 Secretary, Technical Development & DGTD

12 Secretary Deptt of Official Language

13 Additional Secretary (Deptt of I D)

14 Additional Secretary (Deptt of Heavy Industry)

15 Financial Adviser (Deptt of I D)

16 Joint Secretary, Incharge of Hindi Work, (Deptt of Heavy Industry)

17 Joint Secretary, Administration, (Deptt of Industrial Development)

18 Joint Secretary, Administration, (Deptt of Heavy Industry)

19 Joint Secretary, SIA (Deptt of I D)

20 Joint Secretary, (Dept of Official Language)

21 Development Commissioner, Small Scale Industries

22 Economic Adviser

23 Chairman, Bureau of Industrial Costs & Prices

24 Controller of Cement Office of the Cement Controller

25 Shri Krishna Chandra Vidyalankar, Editor, 'Vitt', New Delhi

26 Shri Hari Babu Kansal, Secretary, Nagari Lipi Parishad Gandhi Smarak Nidhi, Rajghat, New Delhi

27 General Secretary Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha Madras

28 General Secretary, Nagari Pracharini Sabha, Varanasi

Member Secretary

29 Joint Secretary, Incharge of Hindi Work (Deptt of Industrial Development)

II *Functions*

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry of Industry and its Attached and Subordinate Offices on matters relating to progressive use of Hindi for Official purposes and allied issues falling within the framework of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs

III *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition provided that —

(a) a member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament,

(b) Ex Officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti,

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation death etc of a member the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years

IV *General*

(i) The Samiti may Co opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint Sub Committees as may be considered necessary

(ii) The headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also

V *Travelling and other Allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub-Committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administration, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs Lok Sabha Secretariat Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Commerce, Works & Miscellaneous and all the Ministries and Departments of the Government of India

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

MANISH BAHI Jt Secy

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi the 17th January 1981

No P-17011/1/74 T&M—In supersession of the Government of India in the erstwhile Department of Cooperation Ministry of Agriculture, No P-17011/1/74 T&M, dated the 2nd January, 1974, the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation), hereby reconstitute the Panel Authority for top management posts in the National Level Cooperative Federations consisting of the following —

Chairman

1 Union Minister of Agriculture

Vice Chairman

2 President National Cooperative Union of India

Members

3 & 4 Presidents of two national level cooperative federations

5 Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation)

6 Additional Secretary (CCT) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation)

7 Managing Director National Cooperation Development Corporation

8 An expert on Management

Member-Convenor

9. Central Registrar of Cooperative Societies.

2. The Presidents of the two National Level Cooperative Federations and the expert on management shall be members of the Panel Authority for a period of two years.

3. The functions of the Panel Authority shall be :

(i) to prepare lists of top management posts in the national cooperative federations which are required to be brought within the purview of the Panel Authority and to suitably categorise the same;

(ii) to prepare panels of names from which the national level cooperative federations may select persons for appointment to the posts included in the aforesaid list;

(iii) to advise the national level cooperative federations on matters relating to selection and terms and conditions of apopintment of top managerial personnel.

4. The Panel Authority may revise the panels periodically.

5. The Panel Authority will evolve its own procedure for selection of personnel for inclusion in the different panels and for communication of names to the national level cooperative federations. The Panel Authority may, for selecting candidates for a particular post or category of posts, co-opt another member.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. All National Level Cooperative Federations.
2. The Chairman and all Members of the Panel Authority.
3. The Secretaries-incharge of Cooperation, All State Governments/Union Territories.
4. The Registrars of Cooperative Societies of all State Governments/Union Territories.
5. Managing Director, National Cooperative Development Corporation 3, Siri Institutional Area, Green Park, New Delhi.
6. Secretary, National Council for Cooperative Training, 3, Siri Institutional Area, Green Park, New Delhi.
7. The Director, Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management, Ganeshkhind Road, Pune-16.
8. Secretary, Ministry of Civil Supplies.

B. K. SINHA, Chief Director

New Delhi, the 8th January 1981

No. 22-17/77-LD-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 2(a) of the Rules and Regulations of the National Dairy Development Board, the President is pleased to nominate Shri M. Y. Priolkar, Joint Secretary (Finance) in this Department as a Member of the National Dairy Development Board with immediate effect in place of Shri U. Vaidyanathan, the then Financial Adviser, Department of Agriculture and Cooperation.

K. UPPILIAPPAN, Director (DD)

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 5th February 1981

No. F.1-6/78-DESK-1(SPORTS).— In pursuance of this Ministry's Resolution No. F.1-6/78-SP.I, dated the 9th June, 1978 and in continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 26th November, 1980, Dr. N. Satyanarayana is hereby appointed as a Member of the All India Council of Sports with immediate effect and until 20th July, 1981 against a vacancy existing on the All India Council of Sports.

SHANKER LAL, Dy. Secy.

New Delhi, the 9th February 1981

RESOLUTION

No. F. 15-13/80-D. III(L).—In the Government of India, Ministry of Education Resolution No. F. 15-43/77-DIII(L) dated the 10th November, 1978 Published in Part I, Section 1 of the Gazette of India ;—

1. COMPOSITION : *Page* 2 *Para* 4

The following may be *substituted* for :

(i) Against the entry 'Chairman' *read* 'Union Education Minister' in place of Minister of State.

(viii) Against the entry 'Adviser' *read* 'Chairman'

(xiii) Against the entry : 'Joint Educational Adviser (Languages)' *read* 'Additional Secretary, Ministry of Education and Culture'

(xiv) Against the entry : Director/Deputy Secretary/D.E.A. (L)' *read* 'Director, Bureau for Promotion of Urdu'

The following is *added* :

(xv) Director, Central Hindi Directorate.

2. On page 2 para 4 sub-para 3 shall *read* as follows :

"The Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, Director, Central Hindi Directorate, Director, National Council of Educational Research and Training, Nominee of Chairman, University Grants Commission, Director, Central Institute of Indian Languages, and Nominee of Director General, Council of Scientific and Industrial Research will be members of the Board ex-officio".

3. On page 3 para 4 sub-para 5 shall read as follows :

"Director, Bureau for Promotion of Urdu will be the Member-Secretary of the Board Ex-officio"

4. On page 3 para 8 line 2-3, the entry

"Chairman of the Board" may be *substituted* by "Minister of State in the Ministry of Education and Culture".

ORDER

ORDERED that copies of the Resolution be communicated to all members of the Taraqqi Urdu Board; Adviser, Commission for Scientific and Technical Terminology, Chairman, University Grants Commission, Director-General, Council of Scientific and Industrial Research, Director, Central Institute of Indian Languages, Director, National Council of Educational Research and Training, All Vice-Chancellors; Chairman, Standing Commission for Scientific and Technical Terminology; Prime Minister's Secretariat; Department of Parliamentary Affairs; Lok Sabha Secretariat; Rajya Sabha Secretariat; Planning Commission, President's Secretariat and Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

K. K. KHULLAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(INLAND WATER TRANSPORT DIRECTORATE)

New Delhi-110001, the 17th February 1981

RESOLUTION

SUB : Setting up of a Committee to go into the working hours of the floating staff of Central Inland Water Transport Corporation.

No. 9-IWT(18)/80-C&E.—Item (b) of first paragraph of this Ministry's Resolution No. 9-IWT(18)/80-C&E dated

12th December, 1981 will be *substituted* by the following entry :—

Captain M X Corera,
Manager,
Fleet Personnel Department,
Shipping Corporation of India,
Bombay. —Member

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

YASHWANT SINHA, Jt Secy

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 30th December 1980

RESOLUTION

No 55027/(7)/80-CRC—In partial modification of this Department's Resolution No 55027/(1)/77 CPC dated the 21st February, 1977 under which a Standing Body named "Joint Board on Mining Engineering Education and Training" was constituted under the Chairmanship of Joint Secretary, Department of Coal. It is now proposed that the Chairman of the aforesaid Standing Body should be as follows .—

"Joint Secretary or any other officer equivalent or above the rank of Joint Secretary, Department of Coal in the Ministry of Energy"

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned including all the Ministries/Departments of Government of India, the Cabinet Secretariat etc., the C and A G of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

SMT. K. SOOD, Director

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th February 1981

No Hindi/Samiti/80/38/1.—In continuation of Ministry of Railways (Railway Board) resolution No Hindi/Samiti/80/38/1 dated 24 12-80 Member Staff, Railway Board is nominated as Member of Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under Ministry of Railways in place of Member Transportation, Railway Board.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt, Rajya Sabha Sectt. and Ministries and Departments of Government of India

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

HIMMAT SINGH
Secretary, Railway Board and
ex-officio Jt. Secy
to the Government of India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981